

RPI-211-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the court of.....  
Case No. 01/18

Class.....  
Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant 01

Name, parentage, caste and address of accused

कमल बिशोय 90 राफेत 9115

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 18-4-10 को समय 10:54 बजे स्थान हरदोई  
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 42  
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायाल  
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

कमल बिशोय

कमल बिशोय

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) or subsection(2) of section 260 the  
the property in respect of which of which the offence has been committed.  
मिर्वाणी शर्मा  
गोहद, जिला-भिण्ड



(निर्णय)  
(आज दिनांक 16-5-18 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 का.व.पी. के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 का.व.पी. के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा मुद्दे का.व.पी. 21/11/18 न.क.डी.का.पी.

निर्णय खुले न्यायालय में हरता 10 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप किया

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड